रिटायरमेंट को लेकर सरकार पसोपेश में, खर्च करना पड़ेंगे 3500 करोड़ रु.

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर 30 लाख तो अधिकारियों को 80 लाख से 1 करोड़ रुपए का करना पड़ेगा भुगतान

भास्कर न्यूज | भोपाल

प्रदेश में 24 साल बाद अधिकारी-कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर अजीबो-गरीब स्थिति बन गई है। वजह बीते दो सालों से रिटायरमेंट पर रोक लगी होना है। तत्कालीन भाजपा सरकार ने 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच होने वाले रिटायरमेंट पर रोक लगा दी थी, तब सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 साल कर दी गई थी। अब ऐसे करीब 10 से 12 हजार अधिकारी-कर्मचारी अगले महीने 31 मार्च को शासकीय सेवा की अवधि पूरी कर रहे हैं। ऐसे में जहां अधिकारी को रिटायरमेंट पर 80 लाख से 1 करोड़ और कर्मचारी को 25 से 30 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ेगा। इस पर 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार का आकलन किया गया है, वह भी ऐसे में जब प्रदेश का खजाना खाली है। इसे लेकर सरकार पशोपेश में है। इसलिए सरकार में सेवानिवृत्ति के दो विकल्पों पर विचार चल रहा है। इसमें पहला कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने या 1 साल की संविदा नियुक्ति दे दी जाए ,जिससे फिलहाल रिटायरमेंट पर होने वाले भुगतान से फिलहाल बचा जा सके। हालाकि इस बारे में कोई भी खुलकर कहने से बच रहा है। इसी तरह के हालात 22 साल पहले बने थे जब 1996 में शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी थी।

सरकार को कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान की इस स्थिति का सामना 31 मार्च 2021 में भी करना पड़ेगा, जब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच करीब 15 हजार कर्मचारी एक साथ रिटायर होंगे, उस दौरान भी 4000 करोड़ रुपए का एक साथ भुगतान करना पड़ेगा। इस बढ़े हुए खर्चे का इस साल इंतजाम होना मुश्किल है। इसलिए सरकार में सेवानिवृत्ति के दो विकल्पों पर विचार चल रहा है। इसमें पहला कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने या 1 साल की संविदा नियुक्ति दे दी जाए ,जिससे फिलहाल रिटायरमेंट पर होने वाले भुगतान से फिलहाल बचा जा सके। इस दरम्यान वित्तीय स्थिति ठीक होने पर भुगतान कर दिए जाए। दूसरा विकल्प सेवानिवृत्ति की आयु ही एक साल बढ़ा दी जाए। लेकिन इन दोनों मामलों पर सामान्य प्रशासन विभाग को परीक्षण करना है और सेवावृद्धि की आयु बढ़ाने का फैसला वित्त विभाग को लेना है।

ऐसे बढ़ गया खर्च

यदि 31 मार्च 2018 को रिटायर होने वाले शासकीय सेवकों को विधिवत रिटायर किया जाता तो उस दौरान अधिकारियों को 5 लाख और कर्मचारियों को 2 लाख रुपए कम भुगतान करना पढ़ता। दो साल में यह खर्चा 200 करोड़ रुपए बढ़ गया है। हालांकि उस दौरान कर्मचारियों को सेवानिवृत्त न किए जाने की वजह पदोन्नति में आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित होना था, अभी भी यथास्थिति है। बहरहाल अब रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को नियमानुसार साढ़े सोलह महीने की ग्रेज्युटी, 10 महीने का अवकाश नकदीकरण और स्वास्थ्य बीमा योजना में जमा हुई राशि और कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि का ब्याज के साथ भुगतान करना होता है। यह राशि अधिकारियों के खाते में 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तो कर्मचारियों के हिस्से में 25 से 30 लाख रुपए होती है।

करीब 8 हजार से ज्यादा कर्मचारियो का रिटायरमेंट होना है। सेवानिवृत्ति पर होने वाले भुगतान की राशि तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है, लेकिन समय से भुगतान किए जा सकें। इसके सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। रही बात सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने का तो फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्तान नहीं है। बावजूद इसके आगे सभी विकल्पों पर विचार करेंगे।
तरुण भनोत, वित्त मंत्री

इस सत्र से सरकारी स्कूलों में खुलेंगे उपभोक्ता क्लब

बच्चों को दी जाएगी उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले शिक्षा सत्र से उपभोक्ता क्लब गठित किए जाएंगे। इसके माध्यम से बच्चों को उपभोक्ता संरक्षण संबंधी नियमों से अवगत कराकर आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। इससे प्रदेश में उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं की क्षमता विकसित कर उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों का विस्तार होगा। अभी कुछ दिनों पहले यह निर्णय अभी हाल ही में मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि 2009 के प्रावधान के अंतर्गत गठित स्थायी समिति की बैठक में लिया गया है। इसके तहत उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण पर स्वयंसेवी संस्थाओं के उनमुखीकरण के लिए जिलों में शिविर आयोजित भी किया जाएगा। सभी जिलों में क्लब गठित कर उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग मिलकर स्कूलों में क्लब गठित करेंगे।

9वीं से 12वीं के विद्यार्थी होंगे शामिल: इस क्लब में करीब 20 विद्यार्थियों की टीम होगी। इसमें शिक्षक को भी अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्लब के माध्यम से स्कूलों में विभिन्न गतिविधियां कराई जाएंगी और आसपास के क्षेत्रों में रैली, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा।

> बच्चों के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करना आसान है। इसे देखते हुए स्कूलों में उपभोक्ता क्लब खोलने का निर्णय लिया गया है।
>
> **राजीव एम आपटे**, रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता प्रतिपोषण आयोग